माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक **15, 1990** द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2019/. 878 — भोपाल, दिनांक 14 /05/2019

आदेश

विश्वविद्यालय के अन्तर्गत लागू पीएच.डी. विनियम क्र. 22, दिनांक 5 मई 2016 के तारतम्य में शोध कार्य में गुणवत्ता सम्वर्धन हेतु शोधार्थी एवं शोध निर्देशक निम्न बिन्दुओं का परिपालन सुनिश्चित करें :-

1. शोधार्थी अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत करने से पूर्व उसका गंभीरता से निरीक्षण करें ताकि भाषा, वर्तनी और तथ्यों इत्यादि की त्रुटि न हो।
2. शोध निर्देशक भी शोधार्थी के शोध प्रबंध का कम से कम दो बार बारीकी से निरीक्षण करें। शोधार्थी से शोध प्रबंध में वर्तनी, भाषा, तथ्यों एवं प्रविधि इत्यादि में यदि कोई त्रुटि परिलक्षित हो, तो वह उनके स्तर पर ठीक कर ली जाए और त्रुटि की कोई संभावना न रहे।
3. शोध प्रबंध के संबंध में उठने वाले संभावित प्रश्नों पर शोधार्थी एवं शोध निर्देशक के मध्य गंभीरता से विमर्श होना चाहिए जिससे शोधार्थी की मौखिक परीक्षा से पूर्व सभी संभावित प्रश्नों के उत्तरों की सम्पूर्ण तैयारी रहे।
4. शोध निर्देशक, शोध प्रबंध अग्रेषित करने से पूर्व सुनिश्चित करें कि शोधार्थी का शोध प्रबंध उच्च स्तरीय हो एवं उसकी मौलिकता अक्षुण्ण हो।

(मा. कुलपतिजी द्वारा अनुमोदित)

आदेशानुसार

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)
कुलसचिव

पृ. क्र./अका./2019/ 879 — भोपाल, दिनांक 14 /05/2019

प्रतिलिपि :

1) निज सचिव कुलपतिजी एवं निज सहायक कुलाधिसचिव, कुलसचिव की ओर सूचनार्थ।
2) समस्त विभागाध्यक्ष की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं विभाग में पंजीकृत पी.एचडी. शोधार्थियों को सूचित करने हेतु।
3) समस्त शोध निर्देशकगणों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4) परीक्षा नियंत्रक की ओर सूचनार्थ।
5) वेबसाईट प्रभारी को वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
6) आदेश पुस्तिका।

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)
कुलसचिव

बी-38, विकास भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स,एम.पी. नगर, जोन-1, भोपाल (म.प्र.) 462011, फोन (0755) 2553523 फैक्सः (0755) 2551641
B-38, Vikas Bhawan, Press Complex, M.P. Nagar, Zone-1, Bhopal (M.P.) 462011,
Phone- (0755) 2553523 **Fax-**07552551641,Website; www.mcu.ac.in